

**समाहरणालय समस्तीपुर**  
**(राजस्व प्रशाखा)**  
**अल्पकालीन निविदा**

समस्तीपुर जिला के सभी अंचल अर्न्तगत सभी हल्का कार्यालय मे संधारित पंजी-2 एवं समाहरणालय अभिलेखागार में संधारित सर्वे खतियान को स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन तथा 4 प्रति हार्ड कॉपी निकालकर बाईंडिंग कराने हेतु एजेंसी चयन के लिए द्वि-लिफाफा प्रणाली के तहत पूर्व में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी थी। परन्तु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निविदादाता का निविदा नहीं पाये जाने के कारण निविदा की शर्तों में आवश्यक संशोधनोपरान्त पुनः निम्नांकित शर्तों के अधीन तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

**कार्य का विवरण :-**

1 चयनित एजेंसी जमाबंदी पंजी-11 के स्कैनिंग एवं बाईंडिंग हेतु जिले के सभी 4 अनुमंडल मुख्यालय में तथा सर्वे खतियान के स्कैनिंग तथा बाईंडिंग हेतु समाहरणालय के अभिलेखागार में कम्प्यूटर /स्कैनर एवं अन्य उपकरण एक साथ स्थापित कर कार्य करेगी।

2 चयनित एजेंसी जमाबंदी पंजी-11 तथा सर्वे खतियान का स्कैनिंग कर ऑनलाईन प्रकाशन करेगी तथा राजस्व मौजावार 4-4 प्रति में हार्ड कॉपी निकालकर बाईंडिंग कराकर एक प्रति अंचल कार्यालय, एक प्रति अनुमंडल कार्यालय, एक प्रति समाहरणालय अभिलेखागार तथा एक प्रति जिला राजस्व प्रशाखा को उपलब्ध कराएगी।

3 चयनित एजेंसी स्कैनिंग का कार्य कैमरा सहित Overhead Click Scanner / Book Scanner with speed of 25ppm, Minimum 5 Meg. Pix. Camera Quality, Scanning Rang Upto A3 Supported Format Pdf, Supported DPI Minimum 300 के माध्यम से किया जाना है। प्रिंटिंग पेपर A4 , Legal, A3 Size (80 GSM या उससे अधिक) Lazer Prinitting के माध्यम से किया जाएगा। Lazer Prinitting हेतु Original Tonar का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में Refill Toner का उपयोग नही होगा।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 03.10.2016 को अपराहन 3 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला राजस्व प्रशाखा में प्रस्तुत कर सकते है।

प्राप्त सभी निविदा दिनांक 04.10.2016 को अपराहन 4 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

**निविदा की शर्त :-**

**(क) तकनीकी शर्त :-**

1. निविदादाता प्रतिष्ठान का वाणिज्यकर, आयकर, सेवाकर निबंधित होना अनिर्वाय है तथा उससे संबंधित प्रमाण-पत्र एवं विगत 2 वित्तीय वर्ष का रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 10000.00 (दस हजार ) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो एवं जिला पदाधिकारी समस्तीपुर को भुगतये हो संलग्न करना होगा।

3. निविदादाता प्रतिष्ठान को दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम या कम्पनी निबन्धन अधिनियम, पार्टनरशीप फर्म या सोसाईटी निबन्धन के तहत कम से कम 2 वर्ष से निबंधित होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता प्रतिष्ठान को बिहार राज्य के किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य या बी0पी0एल0, निर्वाचन, एस0ई0सी0सी0, मनरेगा या अन्य समकक्ष कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता प्रतिष्ठान का 3 वर्षों में प्रतिवर्ष टर्न-ओवर कम से कम 50 लाख या उससे अधिक का होना चाहिए।
6. निविदादाता प्रतिष्ठान को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता प्रतिष्ठान को आवंटित कार्य हेतु सभी कम्प्यूटर उपकरण Licensed Operating System एवं Antivirus Software स्थापित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता प्रतिष्ठान को जिला पदाधिकारी द्वारा आवंटित कार्य निर्धारित कालावधि में पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा।
10. निर्धारित कालावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 1000.00 (एक हजार ) रू० प्रतिदिन की दर से जुर्माना चयनित एजेंसी से वसूलनीय होगा साथ ही उनके द्वारा जमा अग्रधन जब्त किया जा सकेगा।
11. निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर ईंधनयुक्त जेनरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
12. आवश्यकता अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यस्थल का परिवर्तन किया जा सकेगा। इस हेतु चयनित एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा।
13. चयनित एजेंसी को आवंटित कार्य पूर्ण करने हेतु स्थापित किये जाने वाले उपकरण यथा-कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, जेनरेटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का पूर्ण विवरण देना होगा। कार्य हेतु मानक के अनुरूप उपकरण नहीं पाये जाने पर एजेंसी का कार्य आवंटन तत्काल रद्द किया जा सकेगा।

#### (ख) वित्तीय निविदा :-

1. स्कैनिंग का दर सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1915/रा० दिनांक 18.12.2014 के आलोक में निविदादाता द्वारा दिया जाएगा।
2. जमावंदी पंजी-।। तथा खतियान के हार्डकॉपी का प्रिंटिंग A4, Legal एवं A3 पेपर पर आवश्यकतानुसार होना है। इसलिए इस तीनों साईज के पेपर पर प्रिंटिंग का दर अलग-अलग देना होगा।
3. जमावंदी पंजी-।। तथा खतियान के हार्डकॉपी का मौजावार भौलूम 1 से 100 पन्ने, 101 से 200 पन्ने, 201 से 300 पन्ने, 301 से 400 पन्ने एवं 401 से 500 पन्ने बनाकर प्लास्टिक कोटेड मजबूत बाईंडिंग का दर अलग-अलग देना होगा।

**(ग) सामान्य शर्तें :-**

1. निर्धारित समय सीमा की बाध्यता के मद्देनजर न्यूनतम दर एवं तकनीकी दक्षता के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य आवंटित किया जा सकता है एवं इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।
2. चयनित एजेंसी को कार्य सम्पन्न करने हेतु उपलब्ध कराये गए अभिलेख यथा-खतियान, पंजी-।। के समुचित रख-रेख की जिम्मेवारी होगी।
3. कार्य समाप्त होने एवं विभाग से राशि के आवंटन प्राप्त होने के पूर्व चयनित एजेंसी को किसी प्रकार के अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस हेतु कोई सूद की राशि भी भुगतान नहीं होगा।
4. सभी अनुमंडल मुख्यालय में संबधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा समाहरणालय में अपर समाहर्ता, समस्तीपुर की देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पन्न होगा तथा उनकी स्पष्ट अनुशंसा पर ही चयनित एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।
5. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण या बिना हस्ताक्षर/मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. एजेंसी के चयन में निविदा के न्यूनतम दर के साथ साथ किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य के अनुभवी निविदादाता प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जाएगी एवं न्यूनतम दर, तकनीकी दक्षता एवं निगोसियेशन के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा।
7. कार्य आवंटन से पूर्व विभागीय अनुदेशों एवं निविदा की शर्तों के अनुरूप चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर एकरारनामा करना होगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
9. बिना कारण बताये निविदा की शर्तों में संशोधन करने, निविदा स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. अधिक जानकारी के लिए [www.samastipur.bih.nic.in](http://www.samastipur.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है या समाहरणालय समस्तीपुर के राजस्व प्राशाखा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

समाहर्ता  
समस्तीपुर।  
20/9/20



दिनांक-16.09.2016 को समाहर्ता, समस्तीपुर की अध्यक्षता में जमावंदी पंजी-II एवं सर्वे खतियान की स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन तथा 4 प्रति हार्ड कॉपी निकालकर वाईडिंग करने हेतु जिला क्रय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति-पंजी के अनुसार।
2. निविदा प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि-15.09.2016 को 4.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त निम्नांकित एजेन्सियों की तकनीकी निविदा उनकी उपस्थिति में खोली गयी।
  - (i) डाटाटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
  - (ii) गजानन इन्टरप्राइजेज
  - (iii) न्यू शिव शक्ति इन्टरनेशनल
  - (iv) विष्णु राम
  - (v) घरोन्दा इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

प्राप्त सभी तकनीकी निविदा में से में० न्यू शिवशक्ति इन्टरनेशनल, डाकबंगला, रोड पटना का तकनीकी निविदा सभी तकनीकी शर्तों के अनुरूप पाया गया। अन्य सभी 4 (चार) निविदा दाता का निविदा निर्धारित तकनीकी शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया।


उक्त आलोक में क्रय समिति के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार निविदा दाता के चयन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया तथा इस निविदा की शर्तों में आवश्यक संशोधनोपरान्त पुनः निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया।

ह०/-  
समाहर्ता,  
समस्तीपुर।

ज्ञापांक- 2283...../रा०, दिनांक 21.....सितम्बर, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी सदस्य जिला क्रय समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित निविदा दाता को सूचनार्थ प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
समस्तीपुर।